



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2024/डी- 5573

दिनांक 17-10-24

मैसर्स ग्रीन अरबन डवलपर्स
जरिये पार्टनर श्री शशिकान्त शर्मा
पुत्र श्री कैलाश चन्द शर्मा
पंजीकृत कार्यालय जी-2 व 3,
विनोबा मार्ग, सी-स्कीम,
जयपुर।



विषय :- ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 51, 52, 515/53, 58/371 कुल किता 4 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर में स्थित आवासीय योजना "वृन्दावन ग्रीन्स" का मानचित्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत के क्रम में आप द्वारा प्रस्तुत ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 51, 52, 515/53, 58/371 कुल किता 4 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर में स्थित आवासीय योजना "वृन्दावन ग्रीन्स" आवासीय योजना का मानचित्र अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 366वीं बैठक दिनांक 10.09.2024 को किया जा चुका है। अनुमोदित योजना के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के भूखण्डों को जविप्रा के पक्ष में रहन रखा गया है, उन भूखण्डों का विक्रय विकासकर्ता द्वारा उक्त सम्पूर्ण योजना के आन्तरिक विकासकार्य पूर्ण होने पर रहन मुक्त कराकर किया जावेगा। अनुमोदित मानचित्र की प्रति पत्र के साथ सलंगन है।

सलंगन :- उपरोक्तानुसार

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar
Meena

Designation: Deputy Commissioner

Date: 2024.10.17 06:39 IST

Reason: Approved

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर नगर, जयपुर
दूरभाष - +91-141-2574798 : ईपीसीएक्स - +91-141-2569696 फ़ैक्स - +91-141-2574555





AREA ANALYSIS:-

क्रमांक	नू उपयोग	हेक्कल (Sq.Ms)	प्रतिशत (%)
1.	अवलीय	8604.81	58.94%
2.	व्यवसायिक	617.80	04.23%
3.	खुरी व्यवसायिक (INFORMAL WITH P.U.)	255.30	01.75%
4.	पार्क, एवं खुला क्षेत्र	733.10	05.02%
5.	MOBILE TOWER	21.00	00.14%
6.	S.W.M. (SEWER WASTE MANAGEMENT)	50.13	00.34%
7.	योजना विरक्त क्षेत्र	4317.99	29.58%
कुल योजना क्षेत्र		14600.00	100.00%

कुल खातेदार का क्षेत्र = 14600.00 SQ.Mt. (1.4600 HACT.)

योजना की भूमि की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90-ए की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमापीकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम	नाम
तहसीलदार	उपायुक्त जोन:-

बी.पी.सी./जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक
की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

DEVELOPER:-

ARCHITECTURAL CONSULTANT:-



CADD SQUARE Consultancy

319 - 2 nd Floor, Apex Mall, Lal kothi, Tonk Road, Jaipur (Raj.)
Tel : +91 141 4015808, Mob.- 98290-47373, 97845-90593
Email: caddsquare.jaipur@gmail.com, Web : www.caddsquare.com

NAME OF SCHEME :-

"VRINDAVAN GREENS"

LAYOUT PLAN IN KHASRA NO.- 51, 52, 515/53, 58/371
AT VILLAGE :- RAMCHANDRAPURA, TEHSIL- SANGANER, JAIPUR (RAJ.)

NAME OF SOCIETY :-	"NIJI KHATEDAR"
--------------------	-----------------

ZONE NO.- 12	SECTOR. NO. -
--------------	---------------

SCALE:-1CM=5.0MT.	DRG. NO. CSC/24/138
-------------------	---------------------

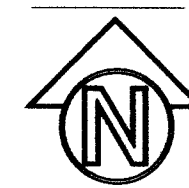
A.T.P. ZONE (ZONE-12)	D.T.P. (ZONE-12)	S.T.P. (ZONE-12)
--------------------------	---------------------	---------------------

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

IN KHASRA NO.- 51, 52, 515/53, 58/371

SCALE :- 1 : 500 OR (1CM = 5.0 Mt.)

NORTH


$$\begin{array}{r} 1456 \\ \hline B \\ \hline 15.10.26. \end{array}$$

EXISTING ROAD 180M. WIDE

450/50

OTHER'S LAND

OTHER'S LAND

ROAD 18.0 M. WIDE

59
ROAD 18.0M. WIDE

ROAD 12.0 M. WIDE

ROAD 12.0 M. WIDE

EXISTING ROAD 18.0M. WIDE

516/53 APPLICANT LAND

APPLICANT'S SIGNATURE

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है

1. कार्गर भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
2. आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 29.07.2024 को हो चुकी है।
3. योजना की भूमि में रा.भू.अभिनियम की धारा 95ए की कार्यवाही प्राथिकृत अधिकारी द्वारा एवं मीके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आंतरिक विकास को एकल में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 4, 56, 57, सी-1, सी-2, कुल भूखण्ड 5 कुल क्षेत्रफल 1195.36 वर्गमीटर है, जो जविग्राम में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रखन खा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा करके अवधि प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
5. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 366 वीं बैठक दिनांक 10.09.2024 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
6. योजना-का-भू-उपयोग्य मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण है एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत यू-2 एच.आई.जेड वर्गीत है।
7. इनफॉर्मल कार्गोशियल भूखण्ड की प्लानिंग मय बांध-बै/पाकिंग आदर्श निम्नंक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार किया जावेगा।
8. योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किया जाने हेतु तैयार किया गया है।
9. बीपीसी (एल.पी.) के निर्णय अनुसार भूखण्डों पर पैरामीटर एवं सैटबैक जविग्राम (जयपुर रोजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

56/343

571343

सहायक नगर नियोजक
जोन-12

तहसीलदार
जोन-12

उपायुक्त
जोन-

वरिष्ठ नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बी पी सी (एल पी)

TO JAIPUR

Shilpi

JAIPUR-AJMER NATIONAL HIGHWAY-8

ROAD 90.0 Mtr. WIDE